

BOOK No. 0/SL No. 33
Dated. 22 SEP 2022



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, सुलनाज (दाबुन) पिता/पति मौ० जरफान
उम्र 28 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम, मुज० के वार्ड संख्या 48
मोहल्ला कन्दौली विष्णुनदत, पोस्ट वमना, थाना मीरपुरा, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम, मुज० के
वार्ड संख्या 49 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर
पंचायत नगर निगम, मुज० के वार्ड 49 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य
पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर [Signature] अभ्यर्थी का हस्ताक्षर Gulnaaz, Khatoon

नाम- मोहम्मद जलीर
पता- बेला कृष्ण, थाना- बेला, जिला- मुज०

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर [Signature]

नाम- गुंजन कुमार
पता- बेला कृष्ण, थाना- बेला, जिला- मुज०

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22/9/2022

Contents of the Affidavit
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
identified by Advocate
22/09/2022
PRABHON KUMAR
NOTARY MUZAFFARPUR, BIHAR

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

000000

YL 0006673022

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

21-SEP-2022 14:16:01

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SAHAJ RETAIL LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2139I2215L693

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT2139I2215L693



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

न्यायालय
NOTARY
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत / नगर निगम
के वार्ड संख्या 49 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- सुलनाज वादून

पिता/पति का नाम- श्री. सरफान

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये-
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या-
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड-
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो-
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि-

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है-
- (iv) यदि निष्पादित है, तो
- (क) निष्पादन की तिथि-
- (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया-

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं-

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या-

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या- शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या- शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण-

शुन्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :-

शुन्य

(ii) शहरी भूमि-

शुन्य + कट्टा 1600000/-

(iii) भवन-

ब्लूटदा (मकान)

अनुमानित धीमत लगभग 16,00,000/-

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। (सौतह लाव) (वपय)

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 15000/-

(ii) बैंक बैलेन्स 1164/-

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें)

सोने का हार-नाक का
आभूषण कीमत लगभग 50,000/-
चोदी का पायल
1 जोड़ा कीमत लगभग 5000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ) शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज इंटरमिडिएट, 2013
के नाम के साथ अंकित करें।
कै.टी. यमुना काशी ज्यूनियर कॉलेज मुजफ्फरपुर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर
तिथि- 22/9/022

Chabna Chatoon
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।